



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042022-235073
CG-DL-E-12042022-235073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1709]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944

No. 1709]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1796(अ).—केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2016 की अनुसूची के उपाबंध 2 में शीर्षक "क. व्यष्टि" के अधीन प्रविष्टियों आईक्यूआई.042, आईक्यूआई.008, आईक्यूआई.041, आईक्यूआई.053, आईक्यूआई.018, आईक्यूआई.040 और आईक्यूआई.010 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू. II/152/32/2015]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2272 (अ), तारीख 01 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1635 (अ), तारीख 05 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1796(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, namely:-

(1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq (Second Amendment) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, in the Schedule, in Annexure 2, under the heading “A. Individuals”, entries IQi.042, IQi.008, IQi.041, IQi.053, IQi.018, IQi.040 and IQi.010 shall be omitted.

[F. No. U.II/152/32/2015]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2272(E), dated the 01st July, 2016 and last amended *vide* notification number S.O. 1635 (E) dated the 5th April, 2022.